भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1650
01 अगस्त, 2024 को उत्तर देने के लिए

फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा

1650. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री खगेन मुर्मु:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री मनोज तिवारी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2014 से फसल कटाई के बाद संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) कृषि अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत इसकी शुरूआत से लेकर अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधियां आवंटित की गई है; और

(ग) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण के अंतर्गत इसकी शुरूआत से लेकर अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्वीकृत ऋणों की स्थिति क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) फसल कटाई के बाद के नुकसानों में कमी, मूल्य वर्धन में वृद्धि आदि सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना-प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को क्रियान्वित करता है । पीएमकेएसवाई के तहत घटक योजनाएं हैं (i) मेगा फूड पार्क; (ii) एकीकृत शीत श्रृखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना; (iii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना; (iv) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन; (v) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार; और (vi) ऑपरेशन ग्रीन्स। एमओएफपीआई उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण/ परिरक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सहायता अनुदान के रूप में क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फसल कटाई उपरांत हानि को न्यूनतम करने के लिए शीत भण्डारण शामिल है । 30 जून , 2024 तक पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 1680 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

एमओएफपीआई के अतिरिक्त कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का सृजन करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जुलाई 2020 में कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना शुरू की है । एआईएफ योजना फसल की बर्बादी को कम करने और मूल्य वर्धन को बढ़ाने के उद्देश्य से शीत भंडारण सुविधाओं, गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा मध्यम से लंबी अवधि के ऋणों की मंजूरी को सुविधाजनक बनाती है।

(ख): एआईएफ योजना की अवधि 2020-21 से 2025-26 तक के दौरान, ये ऋणदाता संस्थान कुल एक लाख करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत करेंगे। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बैंकों और अन्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा वित्तपोषित किए जाने वाले ऋणों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संभावित आवंटन **अनुबंध-I** में दिया गया है ।

(ग): विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 01.08.2024 को उत्तर दिये जाने हेतु पूछे गए फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा से संबन्धित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1650 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित धनराशि (रु.करोड़)
1	उत्तर प्रदेश	12,831
2	राजस्थान	9,015
3	महाराष्ट्र	8,460
4	मध्य प्रदेश	7,440
5	गुजरात	7,282
6	पश्चिम बंगाल	7,260
7	आंध्र प्रदेश	6,540
8	तमिलनाडु	5,990
9	पंजाब	4,713
10	कर्नाटक	4,525
11	बिहार	3,980
12	हरियाणा	3,900
13	तेलंगाना	3,075
14	केरल	2,520
15	ओडिशा	2,500
16	असम	2,050
17	छत्तीसगढ	1,990
18	झारखंड	1,445
19	हिमाचल प्रदेश	925
20	जम्मू और कश्मीर	900
21	उत्तराखंड	785
22	त्रिपुरा	360
23	अरुणाचल प्रदेश	290
24	नागालैंड	230
25	मणिपुर	200
26	मिजोरम	196
27	मेघालय	190
28	गोवा	110
29	दिल्ली	102
30	सिक्किम	56
31	पुदुचेरी	48
32	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	40
33	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	32
34	लक्षद्वीप	11
35	चंडीगढ़	9
कुल		**1,00,000**

अनुबंध- II

दिनांक 01.08.2024 को उत्तर दिये जाने हेतु पूछे गए फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा से संबन्धित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1650 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

देश में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं वितरित ऋण (30.06.2024 तक) का राज्यवार विवरण ।

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत ऋण की संख्या**	**स्वीकृत ऋण की राशि (रु. करोड़)**
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	18	3.32
2	आंध्र प्रदेश	5440	245.21
3	अरुणाचल प्रदेश	55	7.09
4	असम	1492	71.25
5	बिहार	14444	909.02
6	चंडीगढ़	5	0.52
7	छत्तीसगढ	623	97.05
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	7	0.89
9	दिल्ली	228	15.76
10	गोवा	71	8.13
11	गुजरात	439	104.28
12	हरियाणा	1097	284.14
13	हिमाचल प्रदेश	1335	79.53
14	जम्मू और कश्मीर	827	48.39
15	झारखंड	1823	88.25
16	कर्नाटक	4455	446.66
17	केरल	3792	263.24
18	लद्दाख	66	7.99
19	लक्षद्वीप	0	0.00
20	मध्य प्रदेश	4629	409.30
21	महाराष्ट्र	17215	1197.25
22	मणिपुर	265	51.76
23	मेघालय	99	4.99
24	मिजोरम	27	2.65
25	नागालैंड	219	9.94
26	ओडिशा	1489	114.49
27	पुदुचेरी	120	5.63
28	पंजाब	2253	687.87
29	राजस्थान	629	109.79
30	सिक्किम	53	3.41
31	तमिलनाडु	12220	671.15
32	तेलंगाना	5871	232.83
33	त्रिपुरा	123	7.35
34	उत्तर प्रदेश	10386	1018.71
35	उत्तराखंड	697	52.15
36	पश्चिम बंगाल	37	8.63
	कुल	**92549**	**7268.62**